

दिनांक- 28.04.2025, प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज-

एसटीएफ प्रयागराज यूनिट द्वारा थाना रानीगंज पुलिस के सहयोग से 25 हजार रुपये का अंतर्जनपदीय इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

25 हजार रुपये का अंतर्जनपदीय इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार

मु0अ0सं0 72/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर से वांछित अंतर्जनपदीय इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, लूट गैंगस्टर एक्ट, जैसे मुकदमें हैं पंजीकृत

अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र के विरुद्ध थाना फतनपुर में मुकदमें हैं पंजीकृत।

अभियुक्त को जनपद फतेहपुर के थाना कोतवाली सदर के उसके गांव मुराईन टोला से गिरफ्तार किया गया प्रतापगढ़ ।

दिनांक 27.04.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह टीम हे0कां0 अभिषेक मिश्रा, हे0कां0 विकास तिवारी, हे0का0 पंकज तिवारी व चालक कां0 रविकान्त सिंह द्वारा मु0अ0सं0 72/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम मुराईन टोला थाना कोतवाली सदर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना रानीगंज पुलिस के सहयोग से दिनांक 27.04.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज यूनिट उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर जनपद फतेहपुर के थाना कोतवाली सदर के उसके गांव मुराईन टोला से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में रानीगंज पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1- बृजेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम मुराईन टोला थाना कोतवाली सदर जनपद फतेहपुर

बृजेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम मुराईन टोला थाना कोतवाली सदर जनपद फतेहपुर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 48/24 धारा 120-बी, 328, 364, 392, 413, 467, 468 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 72/25 धारा उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

एसटीएफ टीम प्रयागराज उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह टीम हे0कां0 अभिषेक मिश्रा, हे0कां0 विकास तिवारी, हे0का0 पंकज तिवारी व चालक कां0 रविकान्त सिंह।

उ0नि0 राकेश चौरसिया व हे0कां0 अशरफ अली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत नूरानी मस्जिद सरायबहेलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम जैसे संगीन अपराध में लगभग कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ०नि० वरुण कुमार सिंह मय हमराह का० किशन यादव, का० अनुज कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि० भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत नूरानी मस्जिद सरायबहेलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० 95 / 2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आजाद सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि० भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि० भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

1-मु०अ०सं०-519/15 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु०अ०सं०-1006/16 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3-मु०अ०सं०-182/17 धारा 392, 411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4-मु०अ०सं०-346/17 धारा 392 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

5-मु०अ०सं०-598/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

6-मु०अ०सं०-330/17 धारा 392, 411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

7-मु०अ०सं०-351/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

8-मु०अ०सं०-405/17 धारा 41, 411, 413, 419, 420, 467, 468 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

9-मु०अ०सं०-319/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

10-मु०अ०सं०-790/19 धारा 411, 417, 420, 465, 467, 471 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

11-मु०अ०सं०-388/17 धारा 307 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

12-मु०अ०सं०-444/20 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

13-मु०अ०सं०-95/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० वरुण कुमार सिंह मय हमराह का० किशन यादव, का० अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

थाना बाघराय-

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना बाघराय के आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

मुख्य आरक्षी राजेन्द्रनाथ तिवारी ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के मुख्य आरक्षी राजेन्द्रनाथ तिवारी को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया के पास से गैंगस्टर मुकेश पाण्डेय गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी राजेन्द्रनाथ तिवारी के सहयोग से थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 73/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त मुकेश पाण्डेय पुत्र रामलखन पाण्डेय निवासी कुटिलिया रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुकेश पाण्डेय पुत्र रामलखन पाण्डेय निवासी कुटिलिया रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मुकेश पाण्डेय पुत्र रामलखन पाण्डेय निवासी कुटिलिया रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 29/2025 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता अधिनियम थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

थाना उदयपुर-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराही का० कृष्ण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान परिवाद संख्या 942 / 12 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर बबलू पुत्र रामफेर नि०ग्रा० रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बबलू पुत्र रामफेर नि०ग्रा० रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराही का० कृष्ण कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।